न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

वाद संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
1453/2015(262/2011)	01.01.2015	19.04.2023

उनवान

1. श्रीमती आशा देवी पत्नी छाजूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खुन्दरोठ तह. नीमराना।
2. राजेन्द्रसिंह पुत्र छाजूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खुन्दरोठ तह. नीमराना।
3. अनिता पत्नी श्रीपालसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खुन्दरोठ तह. नीमराना।
4. गोविन्द सिंह पुत्र श्रीपालसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खुन्दरोठ तह. नीमराना।

:–वादीगण।

बनाम

1. श्रीमती जडाव देवी पत्नी भंवरसिंह..... मृतक।
   1/1 केशर बाई पुत्री जडाव लावल्द फौत
   1/2 अथरी बाई पुत्री जडाव
   1/3 लाडबाई पुत्री जडाव फौत
   1/3/1 मदनसिंह पुत्र भवंरसिंह
   1/3/2 बहादुरसिंह पुत्र जडाव पत्नी भवंरसिह जाति राजपूत
   1/3/3 गुमानसिंह पुत्र जडाव पत्नी भवंरसिंह जाति राजपूत निवासियसान भगेगा,तह0 नीमकाथाना जिला सीकर।
   1/3/4 बीना बाई पत्नी समुन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी गुढा तह0 उदयपुरवाटी।
   1/3/5 बिमला बाई पत्नी प्रकाश सिंह जाति राजपूत निवासी गुढा तह0 उयदपुरवाटी
   1/4 सुमेरबाई पुत्री जडाव पत्नी रघुनाथसिंह
   1/5 छगनाबाई पुत्री जडाव पत्नी उगेदसिंह
2. मुंशीसिंह पुत्र जडावदेवी पत्नी भवंरसिंह
3. बाबूसिंह पुत्र जडावदेवी पत्नी भवंरसिंह फौत
   3/1 श्रीमती सुशीला देवी पत्नी बाबूसिंह
   3/2 राजेन्द्र सिंह
   3/3 बिजेन्द्रसिंह
   3/4 सुरेन्द्रसिंह सभी जाति राजपूत निवासी ग्राम खुन्दरोठ तह.नीमराना।
4. महावीर सिंह पुत्र भवंरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खुन्दरोठ फोत।
   4/1 श्रीमती अदलादेवी पत्नी महावीरसिंह
   4/2 अशोकसिंह पुत्र महावीरसिह
   4/3 सतीशसिंह पुत्र महावीरसिंह
   4/4 शरदाबाई पुत्री महावीरसिंह हाल पत्नी अशोकसिंह निवासी बबेरा तह0 नीमकाथाना।
   4/5 सुमन पुत्री महावीरसिंह हाल पत्नी नेत्रसिंह जाति राजपूत निवासी नीमकाथाना।
5. सवाई सिंह पुत्र भवंरसिंह जाति राजपूत निवासी खुन्दरोठ फौत।
   5/1 श्रीमती कमलेश देवी पत्नी सवाईसिंह
   5/2 जोगेन्द्र सिंह पुत्र सवाईसिंह जाति राजपूत निवासी खुन्दरोठ
   5/3 सुमनबाई पुत्री सवाईसिंह हाल पत्नी सिकन्दरसिंह जाति राजपूत निवासी भगेगा तह0 नीमकाथाना।
   5/4 बिन्दुबाई पुत्री सवाई सिंह हाल पत्नी दिगविजयसिंह जाति राजपूत निवासी खेतडी मोड कॉलोनी नीमकाथाना।
6. बजरंगसिंह
7. मदनसिंह
8. सत्यवीरसिंह पुत्रान मंगेजसिंह
9. बिमलेश बाई पुत्री मगेंजसिंह
10. चम्पा देवी पत्नी फूलसिंह जाति राजपूत
11. दलीपसिंह
12. बाबूसिंह

धिकारी
लवर)

13. राजपालसिंह
14. गिरधारीसिंह
15. बहादुरसिंह
16. रामफलसिंह पुत्रान फूलसिंह
17. रामबाई
18. बिमलाबाई
19. नोरंग बाई
20. छगनबाई
21. सपना बाई
22. ललिता बाई पुत्रीयान फूलसिंह जाति राजपूत निवासी खुन्दरोठ तह. नीमराना।
23. कमला देवी पत्नी प्रहलादसिंह जाति राजपूत निवासी खुन्दरोठ –फौत।
    23/1 संतरा पुत्री कमला देवी पत्नी प्रहलादसिंह हाल पत्नी अमरसिंह जाति राजपूत निवासी भगेगा तह. नीमकाथाना।
24. बिजेन्द्रसिंह पुत्र प्रहलादसिंह
25. उदयवीरसिह पुत्र प्रहलादसिंह– फौत
    25/1 मीरादेवी पत्नी उदयवीरसिंह जाति राजपूत
    25/2 नितीनसिंह पुत्र उदयवीरसिंह जाति राजपूत
    25/3 पायल पुत्री उदयवीरसिंह जाति राजपूत जरिये सरपरस्त माता मीरा देवी।
26. रामसिंह पुत्र प्रहलादसिंह
27. बजरंग सिंह पुत्र प्रहलादसिंह
28. जगराजसिंह पुत्र भवंरसिंह
29. प्रकाशसिंह पुत्र भवंरसिंह
30. सुबेसिंह पुत्र भवंरसिंह– फौत
    30/1 संतोष पत्नी सुबेसिंह जाति राजपूत निवासी खुन्दरोठ
31. बाबूसिंह पुत्र फूलसिंह सभी जाति राजपूत निवासीयान खुन्दरोठ तह.नीमराना।
32. तहसीलदार नीमराना जिला अलवर।
33. उपपंजीयक मॉढण।
34. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय,अलवर।
35. कंवरदेवी पत्नी मंगेजसिंह जाति राजपूत निवासी खुन्दरोठ–फौत।

:– प्रतिवादीगण।

दावा इस्तकरार हक व दुरूस्ती इन्द्राजात एंव हु0ई0दवामी अन्तर्गत धारा 88,188,189 आर0टी0एक्ट0।

उपस्थितीः– 1 श्री विनोद कुमार यादव एड0 वादीगण की ओर से।
2 श्री हुकमचन्द शर्मा एड0 प्रतिवादीगण की ओर से।

–::निर्णय::–

पत्रावली पेश हुई। दावा के सूक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है–

1. वादीगण ने वाद पेशकर निवेदन किया कि हम वादीगण की हाल आराजी ख.नं. 847/0.46,847/1810/0.46 वाके ग्राम खुन्दरोठ तह. नीमराना साबिक ख.नं. 837 मिन/04–04 बिस्वा से कायम हुए है। तथा प्रतिवादीगण सं. 01 लगा. 22 की हाल आराजी ख.नं. 848/01.04 वाके ग्राम खुन्दरोठ साबिक ख.नं. 836 मिन रकबा 03–15 बिस्वा से कायम हुआ है व प्रतिवादी सं. 23 लगा. 31 के हाल ख.नं. 846/01.01 वाके ग्राम खुन्दरोठ साबिक ख.नं. 840/03–16 बिस्वा से कायम हुआ है।

2. हम वादीगण की आराजी ख.नं. साबिक 837/0–04बिस्वा के संवत 2042 मे बंदोबस्त विभाग द्वारा नया ख.नं. 847 कायम कर उसका रकवा साबिक रकबा के मुताबिक 13 एयर कम करते हुए 92 एयर अंकित कर दिया जबकि साबिक रकबे के मुताबिक हाल नं0 का रकबा 01.05 हैक्0 अंकित होना चाहिए था। हाल ख.नं. 847/0.92 का खाता

धिकारी
(अलवर)

हम वादीगण ने अलग अलग करा लिया जिसरो ख.नं. 847 के तकासमा के आधार पर नये नं0 847/0.46,847/1810/0.46 कायम किए गए है।

3. प्रतिवादी सं. 01 लगा. 22 के साबिक ख.नं. 836/03–15 विस्वा का बंदोबस्त संवत 2042 मे नया नं. 848/01.04 अंकित कर दिया जबकि साबिक रकबे के अनुसार ख.नं. 848 का रकबा 0.94 अंकित होना चाहिए था लेकिन 10 एयर रकबा अधिक अंकित करते हुए 01.04 दर्ज कर दिया गया जो 10 एयर रकबा हम वादीगण की आराजी का मिलाया गया है। इसीप्रकार से प्रति.सं. 23 लगा. 31 के साबिक ख.नं. 840/03–16 विस्वा का बंदोबस्त संवत 2042 मे नया नं. 846/01.01 अंकित कर दिया गया जबकि साबिक रकबा के अनुसार हाल ख.नं. 846 का रकबा 0.95 अंकित होना चाहिए था लेकिन 06 एयर रकबा अधिक अंकित करते हुए 01.01 दर्ज कर दिया गया जिसमे से 03 एयर रकबा हम वादीगण की आराजी का मिलाया गया है। साबिक व हाल रिकॉर्ड वाद के संलग्न है।

4. हम वादीगण व प्रतिवादीगण की आराजी मौके पर साबिक रकबा के मुताबिक पुरी है तथा मौके पर जहा पुरानी डोल बनी हुई थी उसकी के अनुसार डोल बनी हुंई है तथा हम वादीगण की आराजी के तरफ उत्तर मे डोल से लगती हुई प्रति. सं. 23 लगा. 31 की आ.ख.नं. 846/01.01 व तरफ दक्षिण डोल से लगती हुई प्रतिवादी सं0.01 लगा. 22 की आराजी ख.नं. 848/01.04 स्थित है। इसलिए हमवादीगण की आराजी का 10एयर रकबा प्रति. सं. 01 लगा. 22 के ख.नं. 848 मे व 03 एयर रकबा प्रति.सं 23 लगा. 31 के ख.नं. 846 मे बंदोबस्त विभाग द्वारा गलती व लापरवाही से मिला दिया गया है जबकि बंदोबस्त विभाग को रकबा घटोन बढाने का कोई अधिकार नही था।

5. उक्त गलत इंद्राज की जानकारी हम वादीगण को आज तक नही थी लेकिन अब हम वादीगण द्वारा अपनी आराजी हाल ख.नं. 847 का खाता अलग अलग करवाया जब रिकॉर्ड देखा तो पटवारी हल्का ने बताया की आप का रकबा मौके पर जिस प्रकार बता रहे है रिकॉर्ड मे कम है तब हमने हाल व साबिक रिकार्ड की नकले ले कर पता लगाया तो जानकारी हुई की हम वादीगण की आरजी का 13 एयर रकबा भूप्रबन्ध विभाग द्वारा कम किया जाकर प्रतिवादीगण की आराजी मे मिला दिया गया है। जानकारी होने पर हमने प्रति. को रकबा दुरूस्त करवाने के लिए कहा तो दुरूस्ती कराने से इंकार हो गए इसलिए वादीगण को यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ है।

6. अन्त में वादीगण ने अपने वाद को निम्न प्रकार डिक्री किए जाने की प्रार्थना की हैं:–
(क) डिक्री दुरूस्ती इन्द्राजात इस अमर की जारी की जावे कि प्रति. सं. 23 लगा. 31 की आराजी ख.नं. हाल 846/01.01 वाके ग्राम खुन्दरोठ मे से 03 एयर रकबा कम किया जाकर उसका रकबा 01.01 के स्थान पर 0.98 एयर अंकित किया जावे व प्रति. सं. 01 लगा. 22 की खातेदारी की आराजी ख.नं. 848/01.04 वाके खुन्दरोठ मे से 10 एयर रकबा कम कर उसका रकबा 01.04 के स्थान पर 0.94 अंकित किया जावे इस प्रकार कुल 13 एयर रकबे मे से 07 एयर रकबा वादी सं. 01 व 02 की आराजी ख.नं. 847/0.46 वाके खुन्दरोठ मे मिलया जाकर उसका रकबा 0.46 के स्थान पर 0.53 अंकित किया जावे व 06 एयर रकबा वादी सं. 03 व04 की आराजी खं.नं. 847/1810 वाके खुन्दरोठ मे मिलया जाकर उसका रकबा 0.46 के स्थान पर 0.52 एयर अंकित किया जावे व इसी प्रकार हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयात,ख.गिरदावरीजात,राजस्व नक्शा मे अंकन कराये जाने के आदेश फरमायें जावे।
(ख) डिक्री हु0ई0दवामी विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की फरमाई जावे कि वो विवादित आराजी के गलत इंद्राज के आधार पर रहन बय नही करे तथा मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। ना ही वादीगण के कब्जे काश्त मे किसी भी प्रकार की महाजाहमत पैदा ना करे।
(ग) खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।
(घ) अन्य अनुतोष जो न्यायालय श्रीमान उचित समझे सादीर फरमाया जावे ।

अधिकारी

7. दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया । बाद तामिल प्रतिवादीगण ने वादीगण के वाद को अस्वीकार करते हुए जवाब पेश किया की वादीगण का वाद गलत है स्वीकार नही है। बदोबस्त विभाग संवत 2042 के कर्मचारियों अधिकारीयों द्वारा साबिक नं0 के जो हाल ख.नं. कायम किए गए हैं वह मौके की स्थिति के अनुसार सही कायम किए गए है। वादीगण की भूमि के तरफ पूर्व मे गै0मु0पहाड स्थित है,जिसमे वादीगण के कथनानुसार रकबा वादी की आराजी मे से कम करके तरफ पूर्व गै0मु0पहाड़ की भूमि मे बढ़ा दिया जबकि हम प्रतिवादीगण की आराजी मे वादीगण की भूमि का किसी प्रकार का कोई रकबा सामिल नही किया गया है। व ना ही हम प्रतिवादीगण कीआराजी से वादीगण का कोई वास्त नही है। ख.नं. 846/01.01 हम प्रतिवादीगण की खरीदशुदा आराजी है व 848/01.04 प्रतिवादीगण की पैतृक आराजी है हम प्रतिवादीगण की आराजी वादीगण की आराजी से लगती हुई है इसलिए वादीगण बेईमानी की नियत से हम प्रतिवादीगण की आराजी को जबरन हडफ करना चाहते है। वादीगण का वादी काबिल खारिज है। वादीगण का वाद मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

8. जवाब दावा प्रस्तुत होने के पश्चात तनकीयात कायम की जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादीगण नियत की गई। वादीगणन ने साक्ष्य मे हुकमसिंह पुत्र शिम्भूसिंह का शपथ पत्र पी.डब्लू. 01,जगमाल सिंह पुत्र प्रहलादसिंह का शपथ पत्र पी.डब्लू.02,दलीपसिंह पुत्र कबुलसिंह का शपथ पत्र पी.डब्लू.03 पेश किए है। तथा दस्तावेजी साक्ष्य मे नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2042 प्रदेश 01,नकल नक्शा ट्रेस संवत 2038 प्रदर्श 02,नकल नक्शा ट्रैस संवत 2020 प्रदर्श 03,नकल जमाबंदी संवत 2065 प्रदर्श 04,05,06 व नकल जमाबदी संवत 2033 प्रदर्श 07,08 व नकल नोटिस धारा 80 सीपीसी प्रर्दश 09 व पोस्ट ऑफिस रसीद प्रदर्श 10 व नकल नोटिस धारा 80 सीपीसी प्रर्दश 11 व पो0आ0रसीद प्रदर्श 12एंव फोटो प्रति जमाबंदी संवत 2073–76 पेश किए है। प्रतिवादीगण को साक्ष्य हेतु बार–बार अवसर दिए जाने के बाद भी साक्ष्य पेश नही करने की सूरत मे साक्ष्य प्रतिवादीगण बंद की जाकर पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

9. उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार से है:–

तनकी सं. 01:– आया आ.ख.नं. हाल 847/0.46,847/1810/0.46 वाके ग्राम खुन्दरोठ साबिक ख.नं. 837/04–04 बिस्वा से बने है का रकबा पुराने रकबे के मुताबिक 105 एयर होना चाहिए था लेकिन हाल बंदोबस्त मे बंदोबस्त विभाग द्वारा कम कर दिया बंदोबस्त विभाग को इस प्रकार से रिकॉर्ड मे गडबडी करने का कोई अधिकार नही था। वादीगण बंदोबस्त विभाग द्वारा कम किए गए रकबे को दुरूस्त कराने के मुस्तहक है? इस तनकी का भार वादीगण पर था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2042 प्रर्दश 01 के अनुसार विवादित हाल ख.नम्बरान निम्न प्रकार कायम किए है:–

संवत 2042	
हाल	साबिक
847/0.92	837मिन/04–04 बिस्वा
848/01.04	836मिन/03–15 बिस्वा
846/01.01	840/03–16बिस्वा

नकल जमाबंदी संवत 2033 प्रर्दश 07 के अनुसार साबिक ख.न. 837 /04–04 बिस्वा का जगननाथ सिंह वादीगण के बुजुर्ग की खातेदारी मे दर्ज रिकॉर्ड है। तथा नकल जमाबंदी संवत 2033 प्रदर्श 08 के अनुसार साबिक ख.नं. 836/03–15 बिस्वा भवंरसिंह,फूलसिंह पुत्रान मगनसिंह की खातेदारी मे दर्ज है यानि कि जो प्रतिवादीगण के बुजुर्ग थे। नकल जमाबंदी संवत 2033 साबिक ख.नं. 840/03–16 उदमीराम,भगवानसिं की खातेदारी मे दर्ज है। इस प्रकार साबिक जमाबंदी से यह तथ्य सावित है कि वादीगण का साबिक रिकॉर्ड के अनुसार कुल रकबा 04–04बिस्वा था तथा प्रति0 सं. 01 लगा 22

धिकारी
(अलवर)

का कुल साबिक रकबा 03–15बिस्वा था। तथा प्रति.सं. 23 लगा. 31 की साबिक आराजी ख.नं. 840 का कुल रकबा 03–16 बिस्वा था। पत्रावली मे प्रस्तुत नकल मिलान क्षेत्रफल से यह तथ्य साबित है कि भू प्रबन्ध विभाग द्वारा रकबे मे कमी बेसी की गई है। वादीगण की आराजी साबिक ख.नं. 837/04–04 बिस्वा का मैट्रिक प्रणाली के अनुसार कुल रकबा 105 एयर दर्ज होना चाहिए था इस प्रकार वादीगण की आराजी का रकबा साबिक रिकार्ड 13 एयर रकबा कम दर्ज किया गया है। इसी प्रकार प्रतिवादीगण के साबिक ख.नं. 836/03–15बिस्वा का मैट्रिक प्रणाली के अनुसार रकबा 93.75 एयर दर्ज होना चाहिए था जबकि भूप्रबन्ध विभाग द्वारा 01.04 दर्ज किया गया है, जिसमे बेसी रकबे का अंकन किया है। इसी प्रकार साबिक ख.नं. 840/03–16 बिस्वा का मैट्रिक प्रणाली के अनुसार 95 एयर रकबा दर्ज होना चाहिए था परन्तु भूप्रबन्ध विभाग द्वारा हाल रकबा 01.01 दर्ज किया गया है। जिससे साबित है कि बेसी रकबा दर्ज किया गया है। जबकि भूप्रबन्ध विभाग को साबिक रिकॉर्ड के अनुसार ही इन्द्राज करना चाहिए था भू प्रबन्ध विभाग को साबिक रिकॉर्ड के विपरित अंकन किए जाने का कानूनी अधिकार नही है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर इस तनकी को सिद्व करने मे सफल रहे है।इसलिए वादीगण रकबे को दुरूस्त कराने के अधिकारी है।यह तनकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण तय की जाती है।

तनकी सं. 02:– आया उक्त वाद पत्र जिम्मन नं. 03 मे दर्शित रकबा मे मिला दिया गया? इस तकनी का भार भी वादीगण पर था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत 2033 व नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2042 के अवलोकन से यह तथ्य बाखुबी साबित है कि भूप्रबन्ध विभाग द्वारा साबिक ख.नं. के हाल ख.नं. कायम करते वक्त वादीगण के साबिक रकबे को कम दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण का रकबा बेसी दर्ज किया गया है। जैसा की तनकी सं. 01 मे विवेचन किया जा चुका है जिसके आधार पर यह तनकी बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण तय की जाती है।

तनकी सं. 03:– आया वादी विरूद्व प्रतिवादी हु.ईदवामी की रिलिफ प्राप्त करने का अधिकारी है? इस तकनी का भार भी वादीगण पर था। वादीगण तनकी नं. 01 व 02 को सिद्व करने मे सफल रहे है इसलिए यह तनकी स्वत ही बहक वादीगण तय हो जाती है। अन्य विवेचन की आवश्यकता नही है। यह तनकी भी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण तय की जाती है।

तनकी सं. 04 आया आराजी मुतनाजा प्रतिवादीगण की खरीदशुदा आराजी है। इसलिए वादी दुरूस्त कराने के मुस्तहक नही है? इस तनकी का भार प्रतिवादीगण पर था इस तनकी को सिद्व करने के लिए प्रतिवादीगण द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य पेश नही किये। इस लिए यह तनकी साबित नही होती है। यह तनकी विरूद्व प्रतिवादीगण तक की जाती है।

तनकी सं. 05:– अनुतोष– वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर दुरूस्ती कराने के अधिकारी है।

अति0 तनकी सं. 06:– आया प्रतिवादीगण द्वारा ख.नं. 846/01.01 जरिये रजि विक्रेय पत्र के खरीद किया है जिस कारण विक्रय पत्र के संबंध मे माननीय न्यायालय को वादी सुनने का क्षेत्राधिकार नही है? इस तनकी का भार भी प्रतिवादीगण पर था।प्रतिवादीगण द्वारा इस तकनी को सिद्व करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही कि गई साक्ष्य के अभाव मे यह तनकी विरूद्व प्रतिवादीगण तय की जाती है।

अति0तनकी सं0 07:–आया वादीगण के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी के तरफ पूर्व मे लगते हुए गै0मु0पहाड की भूमि मे बढी है? इस तकनी का भार भी प्रतिवादीगण पर था इस तनकी को सिद्व करने के लिए प्रतिवादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही की ना ही कोई ठोस प्रमाण पेश किया इसलिए यह तनकी विरूद्व प्रतिवादीगण तय की जाती है।

उपरोक्त तनकीवार किए गए विवेचनानुसार वाद वादीगण भली– भांति साबित होता है। वाद वादीगण काबिले डिक्री करार पाता है।

अधिकारी
(अलवर)

10. अतः आदेश है कि:—

वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण बाबत दुरूस्ती इन्द्राजात डिक्री किया जाकर प्रति. सं. 23 लगा. 31 की आराजी ख.नं. हाल 846/01.01 वाके ग्राम खुन्दरोठ मे से 03 एयर रकबा कम किया जाकर उसका रकबा 01.01 के स्थान पर 0.98 एयर अंकित किये जाने के आदेश दिए जाते है व प्रति. सं. 01 लगा. 22 की खातेदारी की आराजी ख.नं.हाल 848/01.04 वाके खुन्दरोठ मे से 10 एयर रकबा कम कर उसका रकबा 01.04 के स्थान पर 0.94 अंकित किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस प्रकार कुल 13 एयर रकबे मे से 07 एयर रकबा वादी सं. 01 व 02 की आराजी ख.नं. 847/0.46 वाके खुन्दरोठ मे मिलया जाकर उसका रकबा 0.46 के स्थान पर 0.53 अंकित किया जावे व 06 एयर रकबा वादी सं. 03 व 04 की आराजी खं.नं. 847/1810/0.46 वाके खुन्दरोठ मे मिलया जाकर उसका रकबा 0.46 के स्थान पर 0.52 एयर अंकित किया जावे व इसी प्रकार हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयात,ख.गिरदावरीजात मे बाद दुरूस्ती अमलदरामद किए जाने के आदेश दिए जाते है। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करेगे। पर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फैशलशुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो।

यह निर्णय आज दिनांक 19.04.2023 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय मे घोषित किया गया।

19/4/2023

मुकुल सिंह (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, एवं
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
1453/2015(262/2011)	01.01.2015	19.04.2023

उनवान

1. श्रीमती आशा देवी पत्नी छाजूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खुन्दरोठ तह. नीमराना।
2. राजेन्द्रसिंह पुत्र छाजूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खुन्दरोठ तह. नीमराना।
3. अनिता पत्नी श्रीपालसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खुन्दरोठ तह. नीमराना।
4. गोबिन्द सिंह पुत्र श्रीपालसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खुन्दरोठ तह. नीमराना।

:–वादीगण।

बनाम

1. श्रीमती जडाव देवी पत्नी भंवरसिंह..... मृतक।
   1/1 केशर बाई पुत्री जडाव लावल्द फौत
   1/2 अथरी बाई पुत्री जडाव
   1/3 लाडबाई पुत्री जडाव फौत
   1/3/1 मदनसिंह पुत्र भवंरसिंह
   1/3/2 बहादुरसिंह पुत्र जडाव पत्नी भवंरसिह जाति राजपूत
   1/3/3 गुमानसिंह पुत्र जडाव पत्नी भवंरसिंह जाति राजपूत निवासियरसान भगेगा,तह0 नीमकाथाना जिला सीकर।
   1/3/4 बीना बाई पत्नी समुन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी गुढा तह0 उदयपुरवाटी।
   1/3/5 बिमला बाई पत्नी प्रकाश सिंह जाति राजपूत निवासी गुढा तह0 उयदपुरवाटी
   1/4 सुमेरबाई पुत्री जडाव पत्नी रघुनाथसिंह
   1/5 छगनाबाई पुत्री जडाव पत्नी उमेदसिंह
2. मुंशीसिंह पुत्र जडावदेवी पत्नी भवंरसिंह
3. बाबूसिंह पुत्र जडावदेवी पत्नी भवंरसिंह फौत
   3/1 श्रीमती सुशीला देवी पत्नी बाबूसिंह
   3/2 राजेन्द्र सिंह
   3/3 बिजेन्द्रसिंह
   3/4 सुरेन्द्रसिंह सभी जाति राजपूत निवासी ग्राम खुन्दरोठ तह.नीमराना।
4. महावीर सिंह पुत्र भवंरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खुन्दरोठ फोत।
   4/1 श्रीमती अदलादेवी पत्नी महावीरसिंह
   4/2 अशोकसिंह पुत्र महावीरसिह
   4/3 सतीशसिंह पुत्र महावीरसिंह
   4/4 शरदाबाई पुत्री महावीरसिंह हाल पत्नी अशोकसिंह निवासी बबेरा तह0 नीमकाथाना।
   4/5 सुमन पुत्री महावीरसिंह हाल पत्नी नेत्रसिंह जाति राजपूत निवासी नीमकाथाना।
5. सवाई सिंह पुत्र भवंरसिंह जाति राजपूत निवासी खुन्दरोठ फौत।
   5/1 श्रीमती कमलेश देवी पत्नी सवाईसिंह
   5/2 जोगेन्द्र सिंह पुत्र सवाईसिंह जाति राजपूत निवासी खुन्दरोठ
   5/3 सुमनबाई पुत्री सवाईसिंह हाल पत्नी सिकन्दरसिंह जाति राजपूत निवासी भगेगा तह0 नीमकाथाना।
   5/4 बिन्दुबाई पुत्री सवाई सिंह हाल पत्नी दिगविजयसिंह जाति राजपूत निवासी खेतडी मोड कॉलोनी नीमकाथाना।
6. बजरंगसिंह
7. मदनसिंह
8. सत्यवीरसिंह पुत्रान मंगेजसिंह
9. बिमलेश बाई पुत्री मगेंजसिंह
10. चम्पा देवी पत्नी फूलसिंह जाति राजपूत
11. दलीपसिंह
12. बाबूसिंह
13. राजपालसिंह

कारी
वर)

14. गिरधारीसिंह
15. बहादुरसिंह
16. रामफलसिंह पुत्रान फूलसिंह
17. रामबाई
18. बिमलाबाई
19. नोरंग बाई
20. छगनबाई
21. सपना बाई
22. ललिता बाई पुत्रीयान फूलसिंह जाति राजपूत निवासी खुन्दरोठ तह. नीमराना।
23. कमला देवी पत्नी प्रहलादसिंह जाति राजपूत निवासी खुन्दरोठ –फौत।
    23/1 संतरा पुत्री कमला देवी पत्नी प्रहलादसिंह हाल पत्नी अमरसिंह जाति राजपूत निवासी भगेगा तह. नीमकाथाना।
24. बिजेन्द्रसिंह पुत्र प्रहलादसिंह
25. उदयवीरसिह पुत्र प्रहलादसिंह– फौत
    25/1 मीरादेवी पत्नी उदयवीरसिंह जाति राजपूत
    25/2 नितीनसिंह पुत्र उदयवीरसिंह जाति राजपूत
    25/3 पायल पुत्री उदयवीरसिंह जाति राजपूत जरिये सरपरस्त माता मीरा देवी।
26. रामसिंह पुत्र प्रहलादसिंह
27. बजरंग सिंह पुत्र प्रहलादसिंह
28. जगराजसिंह पुत्र भवंरसिंह
29. प्रकाशसिंह पुत्र भवंरसिंह
30. सुबेसिंह पुत्र भवंरसिंह– फौत
    30/1 संतोष पत्नी सुवेसिंह जाति राजपूत निवासी खुन्दरोठ
31. बाबूसिंह पुत्र फूलसिंह सभी जाति राजपूत निवासीयान खुन्दरोठ तह.नीमराना।
32. तहसीलदार नीमराना जिला अलवर।
33. उपपंजीयक मॉढण।
34. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय,अलवर।
35. कंवरदेवी पत्नी मंगेजसिंह जाति राजपूत निवासी खुन्दरोठ–फौत।

:– प्रतिवादीगण।

दावा इस्तकरार हक व दुरूस्ती इन्द्राजात एंव हु0ई0दवागी अन्तर्गत धारा 88,188,189 आर0टी0एक्ट0।

उपस्थितीः– 1 श्री विनोद कुमार यादव एड0 वादीगण की ओर से।
2 श्री हुकमचन्द शर्मा एड0 प्रतिवादीगण की ओर से।

–::पर्चा डिक्री::–

वाद वादीगण वहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण वावत दुरूस्ती इन्द्राजात डिक्री किया जाकर प्रति. सं. 23 लगा. 31 की आराजी ख.नं. हाल 846/01.01 वाके ग्राम खुन्दरोठ मे से 03 एयर रकवा कम किया जाकर उसका रकवा 01.01 के स्थान पर 0.98 एयर अंकित किये जाने के आदेश दिए जाते है व प्रति. सं. 01 लगा. 22 की खातेदारी की आराजी ख.नं.हाल 848/01.04 वाके खुन्दरोठ मे से 10 एयर रकवा कम कर उसका रकवा 01.04 के स्थान पर 0.94 अंकित किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस प्रकार कुल 13 एयर रकवे मे से 07 एयर रकवा वादी सं. 01 व 02 की आराजी ख.नं. 847/0.46 वाके खुन्दरोठ मे मिलया जाकर उसका रकवा 0.46 के स्थान पर 0.53 अंकित किया जावे व 06 एयर रकवा वादी सं. 03 व 04 की आराजी ख.नं. 847/1810/0.46 वाके खुन्दरोठ मे मिलया जाकर उसका रकवा 0.46 के स्थान पर 0.52 एयर अंकित किया जावे व इसी प्रकार हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयात,ख. गिरदावरीजात मे बाद दुरूस्ती अमलदरामद किए जाने के आदेश दिए जाते है।

19/5/2023

मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना।